

2024-780

निर्णय

फर्द अहकाम

22.12.2024

(नियम 15)

द्वितीय श्रेणी का सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़


संतराम

बनाम

रामनारायण आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 556 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
13.12.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा 20.12.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">m</p>	
20.12.2024	<p style="text-align: right;">वकील वादी के उपास्थित/PU माह का पत्रावली</p> <p>पत्रावली पेश की है। पत्रावली पेश करने का पत्र पेश है।</p> <p>दिनांक 20.12.2024</p>	
23.12.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा 20.12.2024 को पेश हो।</p> <p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा 20.12.2024 को पेश हो।</p> <p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा 20.12.2024 को पेश हो।</p> <p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा 20.12.2024 को पेश हो।</p>	<p>माम</p> <p>352 me</p> <p>Alhad</p>
	<p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी</p> <p>रावतसर</p>	

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 556/2024 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट

संत राम पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 19 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. रामनारायण पुत्र मघाराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 19 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़, राज0।
2. शिव भगवान पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 19 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़, राज0।
3. राजस्थान राज्य मार्फत तहसीलदार (राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री विनोद राहड़ वकील-वादी

श्री विनोद कुमार स्वामी वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 3

निर्णय दिनांक- 23.12.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर

के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी सन्तराम को चक 5 के डब्लयु एम के खाता संख्या 29/28 के पत्थर नम्बर 147/395 (4) किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 15 की 1.265 हैक्टेयर कमाण्ड अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि व चक 5 के डब्लयु एम के खाता संख्या 23/22 के पत्थर नम्बर 147/395 (4) किला नम्बर 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 की 2.530 हैक्टेयर कमाण्ड अनकमाण्ड कृषि भूमि व चक 7 के डब्लयु डी के खाता संख्या 60/53 पत्थर नम्बर 149/396 (3) किला नम्बर 17 की 0.253 हैक्टेयर कमाण्ड मेसे पूर्वी पासा की 0.184 हैक्टेयर कमाण्ड व किला नम्बर 24/2 की 0.2280 हैक्टेयर कमाण्ड मेसे पूर्वी पासा की 0.158 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि व पत्थर नम्बर 150/396(2) किला नम्बर 20, 21/2 की 0.4810 हैक्टेयर कमाण्ड कुल 0.823 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का,
2. प्रतिवादी संख्या 1 रामनारायण को रोही चक 5 के डब्लयुएम के खाता संख्या 23/22 के पत्थर नम्बर 146/395 (5) किला नम्बर 15, 16, 25 की 0.7590 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि व पत्थर नम्बर 147/395 (4) किला नम्बर 11, 20, 21, 22 की 1.012 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि व पत्थर नम्बर 147/396 (12) किला नम्बर 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18 की 1.771 हैक्टेयर कमाण्ड अनकमाण्ड गै.मु.खाला कृषि भूमि कुल 3.542 हैक्टेयर कमाण्ड गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि का,
3. प्रतिवादी संख्या 2 शिव भगवान को रोही चक 5 के डब्लयु एम के खाता संख्या 23/22 के पत्थर नम्बर 147/396 (12) किला नम्बर 1/1, 1/1, 1/2, 2, 2, 3, 3,

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ़

4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21/2, 22/2 की कृषि भूमि कुल 3.745 हैक्टेयर कमाण्ड गै.मुखाला खातेदारी कृषि भूमि व चक 7 के डब्लयु डी के खाता संख्या 60/53 के पत्थर नम्बर 149/396 (3) किला नम्बर 17 की 0.253 हैक्टेयर मे से पश्चिमी पासा की 0.069 हैक्टेयर कमाण्ड व किला नम्बर 18, 19, 21/2, 22/1, 23/1 की 1.19 हैक्टेयर कमाण्ड व किला नम्बर 24/2 की 0.2280 हैक्टेयर कमाण्ड मे से पश्चिमी पासा की 0.070 हैक्टेयर कमाण्ड कुल 1.329 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिकी हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23/12/2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकाशी  
सुपरवण्ड अधिकारी  
रावतसर